कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024 **दिनांक 23/05//2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 22.05.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा '

दिनांक 22.05.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना शादियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 64/2018 धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506 भादवि व 7 CLA Act से सम्बन्धित प्रकरण में 04 नफर अभियुक्तगण 1. अमरजीत सिंह पुत्र राजेश सिंह 2. लोकनाथ यादव पुत्र स्व0 हरदेव सिंह 3. विजय यादव पुत्र मकऊरी 4. रामविलास यादव पुत्र रामअवध यादव समस्त निवासीगण ग्राम सराय गोकुल थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 147 भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड, धारा 148 भादवि में 03 वर्ष का कारावास व 3000 अर्थदण्ड, धारा 307 भादवि में 10 वर्ष का कारावास व 10000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा ।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर